भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2375

उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

समग्र शिक्षा अभियान के लिए जारी धनराशि

†2375. श्री सुनील बोस:

श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

श्री तनुज पुनिया:

श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2020 से सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के लिए जारी की गई कुल धनराशि तथा वर्ष 2020-2025 के बीच राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उपयोग की गई धनराशि का अनुपात कितना है;

(ख) अक्टूबर 2025 तक इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को देय बकाया राशि/दावों/अप्रेषित राशि का ब्यौरा क्या है तथा धनराशि वितरित करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उठाए जा रहे कदमों, विशेषकर उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जिन्होंने जारी निधियों का 75 प्रतिशत से कम उपयोग किया है, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने लंबित बकायों के भुगतान तथा योजना के अंतर्गत निधि उपयोग एवं परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी हेतु तंत्र को मजबूत करने हेतु कोई कदम/उठाए/उपाए किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजना, 'समग्र शिक्षा', को कार्यान्वित कर रहा है। मानदंडों के

अनुसार 'समग्र शिक्षा' के तहत मध्यवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक समग्र शिक्षा के तहत जारी किए गए केंद्रीय हिस्से और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में है।

(ग) और (घ): 'समग्र शिक्षा' के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को व्यय की गति, राज्य के अनुपातिक हिस्से की प्राप्ति, लेखाओं परीक्षित लेखों, बकाया अग्रिमों संबंधी विवरण, अद्यतित व्यय विवरण, विगत वर्ष का लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र तथा वित्त मंत्रालय और योजना के वित्तीय प्रबंधन और खरीद संबंधी मैनुअल द्वारा निर्धारित आवश्यक जानकारी प्रदान करने के आधार पर निधियां जारी की जाती है। 'समग्र शिक्षा' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से का आवंटन बजट प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

इस विभाग ने 'प्रबंध' नामक व्यापक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग) शुरू की है। यह प्रणाली शिक्षा मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत परिव्यय और योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के अतिरिक्त जारी और व्यय की निगरानी करने में सक्षम बनाती है। योजना की निगरानी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और देश में अधिकांश स्कूल तथा शिक्षक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। जमीनी स्तर पर ऐसी योजनाओं की अवधारणा, कार्यान्वयन और उनके साकार होने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनईपी, 2020 में शिक्षा के सभी स्तरों और पहलुओं के लिए व्यापक और स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित की गई है।

*****

अनुलग्नक

'समग्र शिक्षा अभियान के लिए जारी धनराशि' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सुनील बोस, श्री कार्ती पी. चिदम्बरम, श्री तनुज पुनिया और श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2375 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 के दौरान 'समग्र शिक्षा' के तहत जारी किए गए केंद्रीय हिस्सा और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		जारी केन्द्रीय हिस्सा	राज्य की हिस्सेदारी सहित व्यय	जारी केन्द्रीय हिस्सा	राज्य की हिस्सेदारी सहित व्यय	जारी केन्द्रीय हिस्सा	राज्य की हिस्सेदारी सहित व्यय	जारी केन्द्रीय हिस्सा	राज्य की हिस्सेदारी सहित व्यय	जारी केन्द्रीय हिस्सा	राज्य की हिस्सेदारी सहित व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40.37	41.42	31.52	35.96	56.51	37.24	55.28	32.06	60.52	52.64
2	आंध्र प्रदेश	869.75	1084.91	683.01	1476.32	1503.59	1951.93	1289.41	2652.53	1240.11	2013.32
3	अरुणाचल प्रदेश	339.65	285.33	279.96	372.27	252.29	518.45	475.03	805.59	575.85	915.59
4	असम	1594.29	1910.24	1561.56	1801.61	2080.86	2166.12	1810.47	2313.96	2026.77	2700.81
5	बिहार	2828.23	5189.78	3406.08	5216.36	3554.59	6172.96	4241.73	5635.93	4217.81	7629.46
6	चंडीगढ़	71.15	87.08	108.04	90.85	109.79	89.87	116.36	49.52	118.58	110.06
7	छत्तीसगढ	350.68	1040.21	332.37	1179.32	828.00	1369.78	776.59	1484.55	830.66	1267.14
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	34.94	41.91	20.92	41.45	64.67	46.72	41.30	17.93	54.63	57.41
9	दिल्ली	149.26	364.68	145.88	324.04	221.94	385.39	146.09	346.95	385.39	486.26
10	गोवा	17.88	23.53	11.02	27.15	29.86	32.83	18.75	50.62	16.34	41.28
11	गुजरात	976.33	1800.82	893.76	1863.86	1321.25	1807.23	1132.53	2113.52	1245.54	2199.85
12	हरियाणा	745.71	1222.99	517.09	1053.84	670.21	1138.08	578.80	932.38	536.44	1116.36
13	हिमाचल प्रदेश	492.30	406.37	319.10	470.73	551.60	596.93	485.97	818.63	526.20	619.08
14	जम्मू और कश्मीर	385.57	1183.39	873.99	770.91	364.97	1275.29	865.44	1106.56	823.49	935.20
15	झारखंड	865.61	1443.25	858.97	1550.85	1154.52	2077.57	1104.93	2182.99	1074.44	2032.50

16	कर्नाटक	610.10	855.76	474.52	1243.90	861.52	1130.40	828.09	1579.28	868.30	1404.83
17	केरल	238.39	438.88	225.13	439.85	178.16	596.50	141.66	431.15	0.00	251.37
18	लद्दाख	58.06	20.43	57.18	27.39	14.89	90.19	52.23	23.09	140.00	102.30
19	लक्षद्वीप	2.55	2.62	2.16	3.44	4.33	3.92	1.00	0.60	3.06	2.98
20	मध्य प्रदेश	2462.19	4308.52	2292.80	4255.14	1939.29	4169.90	2981.51	4725.43	3434.71	5082.36
21	महाराष्ट्र	635.60	1004.03	693.03	675.37	900.00	1540.42	1001.19	3029.33	1126.25	2475.15
22	मणिपुर	323.65	333.83	182.50	321.69	404.76	434.67	257.22	453.15	465.59	404.32
23	मेघालय	283.56	402.07	271.71	407.35	375.15	424.06	394.18	660.93	362.83	651.48
24	मिजोरम	188.55	152.06	179.68	223.61	142.68	233.73	274.14	338.46	216.52	404.22
25	नगालैंड	213.47	176.67	137.34	238.04	281.04	335.57	231.25	302.62	211.41	299.65
26	ओडिशा	1301.46	2598.19	1238.07	2261.65	1836.67	3106.91	1236.61	2859.10	1672.39	2709.81
27	पुदुचेरी	9.72	23.09	13.98	19.47	15.28	24.08	12.47	26.44	12.46	27.01
28	पंजाब	531.43	1273.16	501.27	956.03	605.05	1052.51	331.12	896.47	678.13	1030.03
29	राजस्थान	2259.44	4258.74	2405.82	4443.56	2138.61	4776.66	3202.89	5063.54	3090.65	4676.60
30	सिक्किम	64.52	92.26	100.12	99.04	107.19	128.80	132.61	113.27	122.74	137.84
31	तमिलनाडु	1621.54	2714.93	1598.82	2790.39	2107.23	2428.63	1876.16	2876.38	0.00	1123.84
32	तेलंगाना	348.07	1061.93	553.28	953.97	1142.51	1649.52	920.13	1754.04	988.79	1691.41
33	त्रिपुरा	403.71	297.43	226.93	387.16	286.73	411.72	341.33	376.30	420.03	605.38
34	उत्तर प्रदेश	4571.86	6607.72	2044.97	4584.75	3819.75	7110.05	4276.45	8428.78	6264.79	8809.39
35	उत्तराखंड	541.49	581.87	320.84	570.73	704.39	431.45	440.57	709.53	646.78	755.16
36	पश्चिम बंगाल	1327.43	1997.15	1309.74	2383.80	1522.04	2212.50	311.29	1941.27	0.00	1872.60
	कुल	**27758.52**	**45327.24**	**24873.18**	**43561.83**	**32151.94**	**51958.54**	**32382.79**	**57132.87**	**34458.21**	**56694.71**

स्रोत: प्रबंध पोर्टल

*****